

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

**सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2026 की दैनिक कार्यसूची की
अनुपूरक कार्यसूची**

आज की कार्यसूची के पद 12 “पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन” के पश्चात् निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

13. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री गौतम टेडवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा), मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश अग्रिशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 (क्रमांक 17 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), मध्यप्रदेश इज ऑफ डूईंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 18 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

(6) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(7) श्री गौतम टेडवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(8) श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री, मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(9) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(10) श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज(संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(11) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा), मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(12) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर), मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(13) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर), मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 16 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(14) श्री गौतम टेडवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

14. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में किसानों को खरीफ फसल हेतु खाद/बीज नहीं मिलने एवं अवर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उमंग सिंघार, सदस्य चर्चा उठावेंगे.

भोपाल :

दिनांक : 20 जुलाई, 2026

अरविन्द शर्मा

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.